# अनुदान संख्या 4 – कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
# GRANT No. 4–MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | 1052,82,00 | 971,55,79 | –81,26,21 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 81,23,56 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | 1,81,00 | 79,00 | –1,02,00 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 1,02,00 |

*टीका और टिप्पणियां*

१. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग | Major Head "2851" Village and Small Industries | | | | | |
| मू. | O. | 95652.00 | 97158.44 | 97155.79 | –2.65 |
| पु. | R. | 1506.44 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 9620.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –9620.00 | | | |

(I) 9642.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9465.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.9642.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.9465.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(का) "ग्राम तथा लघु उद्योग - खादी तथा ग्रामोद्योग'' -

(क) "खादी उद्योग'' - 1570.00 लाख रु.;

(ख) "ग्रामोद्योग'' - 570.00 लाख रु.;

(खा) "ग्राम तथा लघु उद्योग - बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार स्कीम - प्रधानमंत्री रोजगार योजना'' - 3250.00 लाख रु.;

(गा) "ग्राम तथा लघु उद्योग - अन्य ग्रामोद्योग'' -

(क) "ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम'' - 3815.00 लाख रु.; और

(ख) "परम्परागत उद्योगों के संपोषण के लिए निधियों से संबंधित स्कीम'' - 260.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अनुसंधान और विकास - एस एण्ड टी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान'' - 355.00 लाख रु. की बचत (1145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) "बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए रोजगार स्कीम - प्रधान मंत्री रोजगार योजना'' - 4399.21 लाख रु. की बचत (29248.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उदारीकृत प्रधानमंत्री रोजगार योजना संघटकों का प्रचालन अगले राजकोषीय वर्ष तक स्थगित किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(A) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries" -

(a) "Khadi Industries" - Rs.1570.00 lakhs;

(b) "Village Industries" - Rs.570.00 lakhs;

(B) "Village and Small Industries - Employment Scheme Unemployed Youth - Prime Minister's Rojgar Yojana" - Rs.3250.00 lakhs;

(C) "Village and Small Industries - Other Village Industries" -

(a) "Rural Employment Generation Programme" - Rs.3815.00 lakhs; and

(b) "Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" - Rs.260.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Development - Provision for Implementation of S&T Plan" - saving of Rs.355.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1145.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agency.

(B) "Employment Scheme for Unemployed Educated Youth - Prime Minister's Rojgar Yojana" - saving of Rs.4399.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29248.00 lakhs) was due to postponement of operation of liberalised Prime Minister's Rojgar Yojana components to the next fiscal.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2851" - under the following heads:-

(का) ''खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग'' - 2139.00 लाख रु. का अधिक व्यय (27571.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''अन्य ग्रामोद्योग'' -

(क) ''ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - एचपीसी की सिफारिश को लागू किया जाना'' - 3815.00 लाख रु. का अधिक व्यय (33448.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''परम्परागत उद्योगों के संपोषण के लिए निधियों से संबंधित स्कीम'' - 216.00 लाख रु. (2337.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थे।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुआ।

3.(I) अनुदान के पूंजीगत भाग में, 50.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 52.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत थी।

(A) "Khadi and Village Industries-Khadi and Village Industries Commission" - excess of Rs.2139.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27571.00 lakhs);

(B) "Other Village Industries" –

(a) "Rural Employment Generation Programme - Implmentation of Recommendation of HPC" - excess of Rs.3815.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33448.00 lakhs); and

(b) "Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries" - Rs.216.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2337.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of part funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

3.(I) In the capital section of the grant, provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Capital Outlay on North Eastern Areas".

(II) Under one head saving of Rs.52.00 lakhs occurred constituting 51 percent of the sanctioned provision.